

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / अ0—03—27 / 2020

पटना, दिनांक:—

श्री समीर परिमल, राज्य-कर उपायुक्त (56—59वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 16.05.2026 से 29.05.2026 तक कुल 14 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 30.05.2026 को शनिवारीय तथा दिनांक 31.05.2026 को रविवारीय अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री परिमल के अवकाश लेखा में (300—14=286) दो सौ छियासी दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / —

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / अ0—03—27 / 2020 1786

पटना, दिनांक:—21/05/26

प्रतिलिपि :— वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री समीर परिमल, राज्य-कर उपायुक्त (56—59वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित कि प्रभार त्याग एवं प्रभार ग्रहण प्रस्तुत करेंगे।

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।